

न्यायालय उपखण्डाधिकारी महोदय सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

पीठसीन अधिकारी का नाम :- हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 34/2020

1. संदीप कुमार पुत्र सुग्रीव कुमार जाति जाट निवासी सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
2. शुभम पुत्र सुग्रीव कुमार जाति जाट निवासी सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।

- वादीगण

बनाम

1. हेतराम पुत्र नथुराम जाति जाट निवासी सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
2. सुग्रीव कुमार पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
3. विमला देवी पुत्री हेतराम पत्नी कानाराम जाति जाट निवासी 46 आरबी राजपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
4. माया पुत्री हेतराम पत्नी राजवीर जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0)।
5. मन्जू पुत्री हेतराम पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0)।
6. पार्वती पत्नी सुग्रीव कुमार जाति जाट निवासी सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
7. पूनम पुत्री सुग्रीव कुमार जाति जाट निवासी सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
8. तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर।

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,188 RTA

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण

- 1 श्री जगनंदन सिंह अधिवक्ता
- 2 श्री हरपाल सिंह अधिवक्ता
- 3 राजपैरोकार स्टेट

वादीगण


प्रतिवादीगण 1 ता 7

प्रतिवादी संख्या 8

निर्णय

दिनांक: 17.2.2020

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीए के तहत इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि पक्षकार हिन्दू धर्म व हिन्दू ला के मिताक्षरा स्कूल से शासित है। प्रत्येक पुत्र पुत्री का जदी जायदाद कोपार्सनरी एवं संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति में जन्म से हक व अधिकार है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 संयुक्त


अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर


हिन्दु परिवार के सदस्य है और आपस में रक्त संबध है। चक 7 केआरडब्ल्यू के खाता संख्या 11/9 के प0न0 90/136 मु0न0 58 के कि0न0 10 ता 25 सालम मय गैरमुमकिन रास्ता, प0न0 91/135 मु0न0 54 के कि0न0 22 सालम, प0न0 91/136 मु0न0 59 कि0न0 2, 3, 4, 6 ता 9, 11 ता 25 सालम, प0न0 92/136 मु0न0 60 कि0न0 10, 11 सालम कुल किता 44 कुल क्षेत्रफल 10.373 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता नहरी आराजी में से वादीगण के दादा के नाम 1.280 हैक्टर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चक 7 केआरडब्ल्यू के खाता संख्या 27/18 के प0न0 90/135 मु0न0 55 के कि0न0 8, 13, 14 सालम, कि0न0 15/1 में 0.228 हैक्टर, कि0न0 15/2 में 0.025 नहरी खाला, कि0न0 16/1 में 0.228 हैक्टर, कि0न0 16/2 में 0.025 नहरी खाला, कि0न0 17 ता 19, 22 ता 24 सालम, कि0न0 25/1 में 0.228 हैक्टर, कि0न0 25/2 में 0.025 हैक्टर नहरी खाला, प0न0 90/136 मु0न0 58 कि0न0 1 ता 9 मय गैर मुमकिन रास्ता खाला, प0न0 91/135 मु0न0 54 कि0न0 20, 21 सालम, प0न0 91/136 मु0न0 59 कि0न0 1, 10 सालम कुल किता 35 कुल क्षेत्रफल 6.325 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन रास्ता खाला आराजी में से वादीगण के दादा हेतराम के नाम 1.756 हैक्टर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चक 13 केआरडब्ल्यू के खाता संख्या 13/13 के प0न0 78/141 मु0न0 48 कि0न0 6, 15, 16, 25 सालम मय नहरी खाला, प0न0 79/141 मु0न0 47 कि0न0 9 ता 14, 17 ता 23 सालम, प0न0 79/142 मु0न0 50 कि0न0 1, 2 सालम कुल किता 23 कुल क्षेत्रफल 4.807 हैक्टर नहरी आराजी में से वादीगण के दादा हेतराम के नाम 1.201 हैक्टर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चक 13 केआरडब्ल्यू के खाता संख्या 58/58 के प0न0 78/140 मु0न0 40 कि0न0 1, 10, 11, 20 सालम, प0न0 79/141 मु0न0 47 कि0न0 15, 16, 24, 25 सालम मय गैरमुमकिन रास्ता खाला, प0न0 79/142 मु0न0 50 कि0न0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 सालम मय गैर मुमकिन रास्ता खाला, प0न0 80/141 मु0न0 46 कि0न0 11, 20, 21, 22 सालम, प0न0 80/142 मु0न0 51 कि0न0 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 21 सालम कुल किता 52 कुल क्षेत्रफल 9.108 हैक्टर नहरी आराजी में से वादीगण के दादा हेतराम के नाम 1.389 हैक्टर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चक 16 केआरडब्ल्यू के खाता संख्या 78/71 प0न0 77/139 मु0न0 15 के कि0न0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 सालम मय गैर मुमकिन रास्ता, प0न0 77/140 मु0न0 16 के कि0न0 3/1 में 0.126 हैक्टर, कि0न0 4 ता 7, 14, 15 सालम मय गैर मुमकिन रास्ता कुल किता 32 कुल क्षेत्रफल 5.439 हैक्टर नहरी आराजी में से वादीगण के दादा हेतराम के नाम 1.007 हैक्टर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से अपने नाम दर्ज उक्त आराजी का अन्य सहकाशतकारान के साथ अर्सा पूर्व बंटवारा कर लिया था व तत्पश्चात आराजी वादीगण के हक व हिस्सा में आने पर बंटवारानुसार उक्त आराजी पर वादीगण काबिज काशत चले आ रहे है वादीगण को मुताबिक बंटवारा अपने हक व हिस्सानुसार किला विशेष आराजी निम्न प्रकार से प्राप्त हुई है :-

वादी संख्या 1 संदीप कुमार को चक 7 केआरडब्ल्यू के खाता संख्या 11/9 में 0.268 हैक्टर व इसी चक के खाता संख्या 27/18 में 0.744 हैक्टर व चक 13 केआरडब्ल्यू के खाता संख्या 13/13 में 0.600 हैक्टर दोनो चको की कुल आराजी 1.612 हैक्टर आराजी मुताबिक बंटवारा प्राप्त हुई है जो कब्जा काशत में चली आ रही है। वादी संख्या 2 शुभम को चक 7 केआरडब्ल्यू के खाता संख्या 11/9 में 1.012 हैक्टर व चक 13 केआरडब्ल्यू के खाता संख्या 13/13 में 0.601 हैक्टर दोनो चको की कुल 1.613 हैक्टर आराजी मुताबिक बंटवारा प्राप्त हुई है जो कब्जा काशत चली आ रही है। प्रतिवादी संख्या 2 सुग्रीव कुमार को चक 7 केआरडब्ल्यू के खाता संख्या 27/18 में 1.012 हैक्टर नहरी आराजी प्राप्त हुई है जो कब्जा काशत में चली आ रही है।

उपखति अधिकारी (राजस्व)
सादुलशाहर

प्रतिवादी संख्या 6 पार्वती को चक 16 केआरडब्ल्यू के खाता संख्या 78/71 में 1.007 हैक्टर नहरी आराजी प्राप्त हुई है जो कब्जा काश्त में चली आ रही है। यह कि आराजी राजस्व रिकार्ड में मुताबिक बंटवारानुसार दर्ज रिकार्ड नही होने के कारण वादीगण को काफी परेशानियों पानी की बारी, रकम अदायगी, बैंक ऋण व अन्य सरकारी सुविधाओं का सामना करना पड़ता है, एवं आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रहने के कारण वादीगण अपने हक व हिस्सा की आराजी पर मन लगाकर काश्त कर पाने में असमर्थ व असहाय महसूस करते है जिस कारण वादीगण दावा की मंद संख्या 9 में दर्ज आराजी अपने हक व हिस्सा की कब्जा काश्त किला विशेष आराजी की घोषणा प्राप्त करने के हक व अधिकारी है। वादीगण ने कई बार प्रतिवादीगण से कहा कि वे लोग सहमति के आधार पर वादीगण के हक व हिस्सा की आराजी को वादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड करवाने के लिए कहा तो पहले तो प्रतिवादीगण आज कल आज कल करते रहे परन्तु दिनांक 01.02.2020 को बमुकाम सादुलशहर में स्पष्ट रूप से ईनकार हो गये और वादीगण को ऐलानिया धमकी दी कि हम तो तुम्हारे साथ हुये बंटवारा को नही मानते और ना ही तुम्हे मुताबिक बंटवारा आराजी की घोषणा नही करवाने देगें तुमसे जो होता है कर लो, बस यही बिनाये दावा है। वाद वादीगण की ओर से पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण का निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :-

लिहाजा इस आश्य की घोषणा की जावे कि वादी संख्या 1 संदीप कुमार को चक 7 केआरडब्ल्यू के खाता संख्या 11/9 के प0न0 90/136 मु0न0 58 के कि0न0 10 ता 25 सालम मय गैरमुमकिन रास्ता, प0न0 91/135 मु0न0 54 के कि0न0 22 सालम, प0न0 91/136 मु0न0 59 कि0न0 2, 3, 4, 6 ता 9, 11 ता 25 सालम, प0न0 92/136 मु0न0 60 कि0न0 10, 11 सालम कुल किता 44 कुल क्षेत्रफल 10.373 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता नहरी आराजी में से वादीगण के दादा के नाम 1.280 हैक्टर आराजी में से 0.268 हैक्टर आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व वादी संख्या 2 शुभम को 1.012 हैक्टर आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे व चक 7 केआरडब्ल्यू के खाता संख्या 27/18 के प0न0 90/135 मु0न0 55 के कि0न0 8, 13, 14 सालम, कि0न0 15/1 में 0.228 हैक्टर, कि0न0 15/2 में 0.025 नहरी खाला, कि0न0 16/1 में 0.228 हैक्टर, कि0न0 16/2 में 0.025 नहरी खाला, कि0न0 17 ता 19, 22 ता 24 सालम, कि0न0 25/1 में 0.228 हैक्टर, कि0न0 25/2 में 0.025 हैक्टर नहरी खाला, प0न0 90/136 मु0न0 58 कि0न0 1 ता 9 मय गैर मुमकिन रास्ता खाला, प0न0 91/135 मु0न0 54 कि0न0 20, 21 सालम, प0न0 91/136 मु0न0 59 कि0न0 1, 10 सालम कुल किता 35 कुल क्षेत्रफल 6.325 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन रास्ता खाला आराजी में से वादीगण के दादा हेतराम के नाम 1.756 हैक्टर आराजी में से वादी संख्या 1 संदीप कुमार को 0.744 हैक्टर आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व प्रतिवादी संख्या 2 सुग्रीव कुमार को 1.012 हैक्टर आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे व चक 13 केआरडब्ल्यू के खाता संख्या 13/13 के प0न0 78/141 मु0न0 48 कि0न0 6, 15, 16, 25 सालम मय नहरी खाला, प0न0 79/141 मु0न0 47 कि0न0 9 ता 14, 17 ता 23 सालम, प0न0 79/142 मु0न0 50 कि0न0 1, 2 सालम कुल किता 23 कुल क्षेत्रफल 4.807 हैक्टर नहरी आराजी में से वादीगण के दादा हेतराम के नाम 1.201 हैक्टर आराजी में से वादी संख्या 1 संदीप कुमार को 0.600 हैक्टर आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व वादी संख्या 2 शुभम कुमार को 0.601 हैक्टर आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कर इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे



Signature
 अधिकारी (राजस्व)

व चक 16 केआरडब्ल्यू के खाता संख्या 78/71 प0न0 77/139 मु0न0 15 के कि0न0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 सालम मय गैर मुमकिन रास्ता, प0न0 77/140 मु0न0 16 के कि0न0 3/1 में 0.126 हैक्टर, कि0न0 4 ता 7, 14, 15 सालम मय गैर मुमकिन रास्ता कुल किता 32 कुल क्षेत्रफल 5.439 हैक्टर नहरी आराजी में से वादीगण के दादा हेतराम के नाम 1.007 हैक्टर आराजी में से प्रतिवादी संख्या 6 पार्वती को 1.007 हैक्टर आराजी का खातेदार काशतकार घोषित कर इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की ओर से ईकबाल दावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 8 जबाब स्टेट पेश हुआ कि राज्यहित को मध्यनजर रखते हुये वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तो कोई ऐतराज नही होगा।

उभय पक्षकारण अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीगण ने वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के अधिवक्ता ने वादीगण के तथ्यो को स्वीकार किया एवं वादपत्र स्वीकार किये जाने पर कोई ऐतराज नहीं जताया।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस उभय पक्ष के अधिवक्तागण की सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि उक्त आराजी वादीगण के पिता को प्रतिवादी संख्या 1 वादी के दादा से प्राप्त हुई है जो मुताबिक बंटवारा वादीगण के हक व हिस्सा में आयी थी। वादग्रस्त आराजी में अपना हक व हिस्सा होने की हैसियत से घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने वादीगण के कथनो पर अपनी सहमति प्रकट करते हुये ईकबालदावा पेश किया है। इस प्रकार वादीगण ने अपना दावा को दस्तावेजी साक्ष्य, ईकबालदावा के कथनो एवं बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है। ऐसी स्थिति में वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि वादी संख्या 1 संदीप कुमार को चक 7 केआरडब्ल्यू के खाता संख्या 11/9 के प0न0 90/136 मु0न0 58 के कि0न0 10 ता 25 सालम मय गैरमुमकिन रास्ता, प0न0 91/135 मु0न0 54 के कि0न0 22 सालम, प0न0 91/136 मु0न0 59 कि0न0 2, 3, 4, 6 ता 9, 11 ता 25 सालम, प0न0 92/136 मु0न0 60 कि0न0 10, 11 सालम कुल किता 44 कुल क्षेत्रफल 10.373 हैक्टर मय गैर मुमकिन रास्ता नहरी आराजी में से वादीगण के दादा के नाम 1.280 हैक्टर आराजी में से 0.268 हैक्टर आराजी का खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है व वादी संख्या 2 शुभम को 1.012 हैक्टर आराजी का खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है व इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है व चक 7 केआरडब्ल्यू के खाता संख्या 27/18 के प0न0 90/135 मु0न0 55 के कि0न0 8, 13, 14 सालम, कि0न0 15/1 में 0.228 हैक्टर, कि0न0 15/2 में 0.025 नहरी खाला, कि0न0 16/1 में 0.228 हैक्टर, कि0न0 16/2 में 0.025 नहरी खाला, कि0न0 17 ता 19, 22 ता 24 सालम, कि0न0 25/1 में 0.228 हैक्टर, कि0न0 25/2 में 0.025 हैक्टर नहरी खाला, प0न0 90/136 मु0न0 58 कि0न0 1 ता 9 मय गैर मुमकिन रास्ता खाला, प0न0 91/135 मु0न0 54 कि0न0 20, 21 सालम, प0न0 91/136 मु0न0 59 कि0न0 1, 10 सालम कुल किता

सादुलशहर
आधिकारी (राजस्व)

35 कुल क्षेत्रफल 6.325 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन रास्ता खाला आराजी में से वादीगण के दादा हेतराम के नाम 1.756 हैक्टर आराजी में से वादी संख्या 1 संदीप कुमार को 0.744 हैक्टर अराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 2 सुग्रीव कुमार को 1.012 हैक्टर आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है व चक 13 केआरडब्ल्यू के खाता संख्या 13/13 के प0न0 78/141 मु0न0 48 कि0न0 6, 15, 16, 25 सालम मय नहरी खाला, प0न0 79/141 मु0न0 47 कि0न0 9 ता 14, 17 ता 23 सालम, प0न0 79/142 मु0न0 50 कि0न0 1, 2 सालम कुल किता 23 कुल क्षेत्रफल 4.807 हैक्टर नहरी आराजी में से वादीगण के दादा हेतराम के नाम 1.201 हैक्टर आराजी में से वादी संख्या 1 संदीप कुमार को 0.600 हैक्टर आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व वादी संख्या 2 शुभम कुमार को 0.601 हैक्टर आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है व चक 16 केआरडब्ल्यू के खाता संख्या 78/71 प0न0 77/139 मु0न0 15 के कि0न0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 सालम मय गैर मुमकिन रास्ता, प0न0 77/140 मु0न0 16 के कि0न0 3/1 में 0.126 हैक्टर, कि0न0 4 ता 7, 14, 15 सालम मय गैर मुमकिन रास्ता कुल किता 32 कुल क्षेत्रफल 5.439 हैक्टर नहरी आराजी में से वादीगण के दादा हेतराम के नाम 1.007 हैक्टर आराजी में से प्रतिवादी संख्या 6 पार्वती को 1.007 हैक्टर आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।

एवं उक्तानुसार ही वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि रकबा बैंक रहन है तो बैंक ऋण चुकता होने पर डिक्री की पालना की जावे तहसीलदार राजस्व को पालनार्थ पत्र जारी हो। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Edw. B.
17.2.2020
हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान)
सादुलशहर।

